

जिला निवाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त का कार्यालय, खूँटी। (जिला निर्वाचन शाखा)

अल्पकालीन पुननिविदा आमंत्रण सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी-सह-प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 315 दिनांक 09.02.2018 के द्वारा प्राप्त निदेश के आलाक में जिला के 59-तोरपा विधानसभा के 241 एवं 60-खूँटी विधानसभा के 297 कुल 538 मतदान केन्द्रों में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2018 के अवधि में मतदाता सूची में व्याप्त शेष Black & White and Poor Quality Image को Good Quality Colour Photographs में Replacement हेतु मतदान केन्द्रों/घर-घर जाकर Digital camera के माध्यम से B.L.O Register में चिन्हित किए गए वैसे मतदाता जिनका image मतदाता सूची में Black & White and Poor quality image है, का Colour photography कर Colour Photo का डेटाबेस तैयार कर संबंधित ई0आर0ओ0 को उपलब्ध कराया जाना है।

उपर्युक्त कार्य कराये जाने हेतु दिनांक 21.04.2018 के मध्याह्न 12.00 बजे तक मोहरबंद पुननिविदा जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त, खूँटी के पदनाम से आमंत्रित की जाती है। निविदादाता को अपना निविदा दो अलग-अलग भाग तकनीकी एवं वित्तीय भाग में देना होगा। तकनीकी भाग में सफल होने पर ही वित्तीय भाग पर विचार किया जायेगा। वित्तीय बीड में मात्र दर अंकित रहेगा।

उक्त प्राप्त निविदा दिनांक 21.04.2018 को अपराह्न 03.00 बजे समाहरणालय, खूँटी सभागार कक्ष में निविदा समिति के समक्ष में खोली जायेगी।

तकनीकी भाग :-

1. सर्विस टैक्स, List एवं आयकर (Income Tax) का निबंधन प्रमाण पत्र एवं अद्यतन विगत 3 (तीन) वर्षों का आयकर विवरणी संलग्न करना आवश्यक है।
पैन कार्ड संस्थान या व्यक्ति के नाम से होना चाहिए तथा सरकारी संस्थान की काली सूची में नाम दर्ज नहीं होना चाहिए।
2. वार्षिक Turn Over 5 लाख रुपये होना चाहिए।
3. IT संबंधी कार्य का कार्यानुभव संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
4. निविदादाता के पास 50 Digital Camera की उपलब्धता होनी चाहिए। इस आशय का शपथ पत्र Technical Bid के साथ देना अनिवार्य है।
5. निविदा के साथ जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त, खूँटी के पदनाम 20,000/- (बीस हजार) रुपये का बैंक ड्राफ्ट जमानत राशि में जमा करना होगा।

वित्तीय भाग :-

1. प्रति मतदाता Digital Photography करने का दर (सभी कर सहित) अंकित करना होगा।
2. अंकित दर के अलावे परिवहन व्यय या अन्य किसी प्रकार का शुल्क का भुगतान देय नहीं होगा तथा सभी प्रकार के टैक्स अंकित दर में सम्मिलित रहेंगे।

अन्य शर्तें :-

1. किसी भी प्रकार का अग्रिम देय नहीं होगा।
2. कार्यहित में न्यूनतम निर्धारित दर पर एक से अधिक निविदाताओं के बीच कार्य आवंटित किया जा सकता है।
3. निविदा को स्वीकृत या बिना कारण बताये अस्वीकृत करने या निविदा शर्तें में परिवर्तन लाने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
4. भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, झारखण्ड, राँची के द्वारा समय-समय पर उक्त से संबंधित अन्य प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्य संपादित करना होगा। कार्यादेश निर्गत होने के पश्चात् **Time Line for replacement of B/W and Poor quality photographs** को दिनांक 07.05.2018 तक सम्पन्न करना होगा एवं दिनांक 07.05.2018 तक सभी फोटोग्राफ का डेटाबेस संबंधित ई0आर0ओ0 को उपलब्ध कराना होगा।
5. निविदादाता द्वारा कार्य गुणतत्तापूर्ण एवं स-समय पूर्ण नहीं होने की स्थिति में कार्यकारी एजेंसी को कार्य से मुक्त करते हुए दूसरे एजेंसी से उसी दर पर कार्य पूर्ण कराने हेतु निर्णय लिया जा सकता है।
6. **Specification of Photograph**
 - i. Photograph of 2.4 cm x 1.8 cm
 - ii. Resolution 320 x 240 pixel
 - iii. Photo size up to 20 KB
 - iv. 75% full frontal scape of the face of the elector
 - v. Light background
7. Reputed and Experienced agency in the field of Elector related services .
8. Should have experience in field level photography
9. Financially sound party
10. particulars of photography in which photos are to be collected.
अन्य शर्तें की कंडिका 7 से 10 तक के लिए भी प्रमाण पत्र /Undertaking संलग्न करना अनिवार्य है।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी

—सह—

उपायुक्त, खूँटी।